

2016/00017

1512900000097

आदेश

72

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा ( भीलवाड़ा )

**-: सरवरक :-**

( कायदा 129 )

[ General Rules (Civil), Rule 129, Appendix 'B' Form No. 8 ]

19/10

16/11

7/12

11/1

3/1

11/2

5/3

26/4

1 नाम अदालत इंद्रधर कानून(SDO)गुलाबपुरा

2 किस्म मुकदमा वास्तव अन्तर्गत धारा - 53 लाट्व

3 अन्याय मुकदमा मोपगत पिता ब्यारो गुर

4 नम्बर व सन् मुकदमा 17/17 /2016

5 तारीख दाया 16/6/2016

6 तारीख फैसला 5/6/2016

7 तारीख दाखिल होने मुहाफिजखाना

8 अपील या निगरानी की तारीख फैसला

9 किस्म भिसल या हिस्सा

10 किस्म रेकार्ड

11 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ करना है

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ किया गया

12 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ करना है

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ किया गया

13 (अ) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलफ करना है

(ब) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलफ किया गया

14 (अ) तारीख जिस पर कि भाग 'ए' तलफ करना है

(ब) तारीख जिस पर कि भाग 'ए' तलफ किया गया

15 मोपगत पिता


डिप्ट  
नवीन

(25)

18.0.07

5/6/2017

पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प कोर्ट जागृवों पर पेश हुई ।  
न्यायालय हाजा के प्रार्थामक तऽक्रों दिनांक 11/2/2017 को पालना हेतु  
तहसील्दार डुरडा को लिखा जाने पर , तहसील्दार डुरडा ने अपने पत्राक  
राजत्व/2017/ दिनांक 5/6/2017 से अवगत कराया है कि वादोया  
श्रामति दीपमाला सोनी आराजी मुल्दाविया का विभाजन नहीं  
करवाना चाहती है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण को कार्यवाही इसी  
स्टेज पर बन्द की जाती है । पत्रावली शुमार फैसल होकर दार्जाल  
दफ्तर करे । आदेश आज दिनांक 5/6/2017 को उतुलो अदालत में  
सुनाया गया ।

  
सहायक कलेक्टर  
(S. D. O.) गुलाबपुरा  
जिला-भीलवाड़ा

